न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क— 57 / 2013 संस्थित दिनांक— 01.03.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिह लोधी उम्र 30 साल निवासी ग्राम नयाखेडा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0**अभियुक्त**

—: <u>निर्णय</u> :— (<u>आज दिनांक 06.09.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के आरोप है कि उसने दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर तुमने अवैध अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमाक 6312—6552 (1—बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लघन में धारदार छुरी रखे पाये गये।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2013 को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थीं कि एक व्यक्ति नयाखेडा बन विभाग पुलिस के पास सामने रोड पर के किनारे कमर में छुरी खुरसे खडा है। अपराध करने के उद्देश्य से हमराह फोर्स राहगीर गवाह भूरा उर्फ शिवराज, भैयालाल यादव को साथ लेकर मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह आरक्षक अरविंद सिंह, आरक्षक अजय सिंह के तथा राहगीर गवाह की मदद से घेर कर पकडा तो उससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम भुजबल लोधी पुत्र उदेश सिंह लोधी निवासी नयाखेडा थाना चंदेरी का बताया। आरोपी की तलाशी ली तो दाहिने तरफ कमर में छुरी खुरसे मिला जिसे छुरी रखने ाक लाईसेंस पूछा तो न होना बताया। अभियुक्त भुजबल का उक्त कृत्य धारा 25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से साक्षी भूरा उर्फ शिवराज पाल एवं भैयालाल यादव के समक्ष जप्ती पंचनामा तैयार कर जप्त किया

तथा आरोपी भुजबल को गिरफ्तार किया गया, तलाशी ली गयी, तो पेंट की दाहिनी जेब से नगदी 2030 / — रूपये और एक मोबाईल फोर्म कंपनी का लाल रंग का मिला जो गिरफतार में इंद्रराज किया गया। पुलिस थाना चंदेरी में वापसी कर अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—58 / 13 अंतर्गत धारा—25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552 (1—बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में धारदार छुरी रखे पाये गये ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रकरण में जप्तीकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह असा 5 सिंहत जप्ती व गिफतारी के साक्षी भूरा उर्फ शिवराज (अ0सा0—1) व भैयालाल (अ0सा0—2) एवं हमराह पुलिस साक्षी आरक्षक अजय सिंह परिहार (अ0सा0—3) आरक्षक अरविंद (अ0सा0—6) के कथनों सिंहत प्रधान आरक्षक रामगोविंद सोनी (अ0सा0—4) जिसके द्वारा असल अपराध की कायमी पुलिस थाना चंदेरी में की गई, के कथन न्यायालय में कराये गये।

- 06— घटना में जप्ती व गिरफतारी के साक्षी शिवराज (अ०सा0—1) व भैयालाल (अ०सा0—2) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का कोई समर्थन नही किया है। इन दोनों ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श—पी—2 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उन्हें जानकारी नही है कि पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों साक्षियों को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परंतु इन दोनों ही साक्षियों ने सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा0—5) के उनके सामने मौके पर अभियुक्त से की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का खण्डन किया है तथा पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है।
- 07— शिवराज (अ0सा0—1) व भैयालाल (अ0सा0—2) मौके पर सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0—5) के द्वारा की गई जप्ती व गिरफतारी प्रदर्श—पी—1 व 2 के साक्षी हैं, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा अभियोजन का सर्मथन न करने से इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों के द्वारा प्रकरण में अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया। मात्र उक्त कारण से सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0—5) के द्वारा कथित कार्यवाही को एवं उनके द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और मात्र इस कारण से वह पुलिसकर्मी है उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।
- 08— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि यदि जप्ती के गवाहों के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं भी किया गया तब भी पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य यदि विश्वसनीय है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत...नाथू सिंह बनाम् मध्यप्रदेश राज्य A.I.R 1973 S.C. 2783 एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत...काले बाबू बनाम् मध्यप्रदेश राज्य 2008 (4) M.P.H.T. 397 में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित हैं।
- 09— अतः पंच साक्षियों के द्वारा जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही का समर्थन न करने के कारण अभिलेख पर सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा0—5) सहित हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ०सा0—3) व अरविंद (अ०सा0—6) की

साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्याकंन किया जाना आवश्यक है। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक—15.02.2013 को गश्त के दौरान पिपरौद बेरियल के पास उसे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कमर में छुरी खुरचे हुये खडा हैं, जिसकी सूचना से उसने आरक्षक अजय (अ०सा०—3), आरक्षक अरविंद (अ०सा०—4) व साक्षी भैयालाल (अ०सा०—2), भूरा उर्फ शिवराज (अ०सा०—1) को अवगत कराने के बाद वह उन्हें साथ में लेकर नयाखेडा वनविभाग की चौकी पहुंचा था, जहां पर पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने लगा था, जिसे घेरा बंदी करके पकडा गया और तलाशी ली गई तो उसकी कमर से एक धारदार छुरी बरामद हुई, जिसको रखने का लाइसेंस मांगने पर अभियुक्त के द्वारा लाइसेंस न होना बताया गया।

- 10— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) दिनांक—15.02.2013 को गश्त के समय पिपरोद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा वनविभाग की चौकी नयाखेडा पर कोई व्यक्ति के छुरी खुर्चे हुये खडा होने कि सूचना मिली थी, इस इस संबंध में हमराह आरक्षक अरविंद (अ०सा०—6) एवं अजय सिंह परिहार (अ०सा०—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया है कि है कि घटना दिनांक को वह लोग स्वयं सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) के साथ थे एवं सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने मुखबिर की सूचना से शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) का अवगत करा कर उन्हें साथ लेकर वह वनविभाग की चौकी नयाखेडा पहुचे थे।
- 11—अजय सिंह परिहार (अ०सा०—3) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का दिनांक स्पष्ट नही किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना वर्ष 2013 की होने के संबंध में स्पष्ट कथन दिये है। घटना दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) को गश्त के दौरान पिपरोद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा नयाखेडा वन चौकी के पास किसी व्यक्ति को छुरी खुर्चे हुये खडा होने की सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना से सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने हमराह आरक्षक अजयसिंह परिहार (अ०सा०—3) व अरविंद (अ०सा०—6) सिंहत शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) के अवगत कराया था और उन्हें साथ लेकर वह लोग वन चौकी नयाखेडा पहुंचे थे।
- 12— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा0—5) सहित आरक्षक अजय सिंह (अ०सा0—3) व आरक्षक अरविंद (अ०सा0—6) की साक्ष्य उनके प्रतिपरीक्षण में भी

खण्डित नहीं हुई। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) के द्वारा उपरोक्त दिये गये कथनों की पुष्टि स्वयं उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—5 एवं हमराह साक्षी आरक्षक अजय सिंह परिहार (अ०सा०—3) व अरविंद सिंह (अ०सा०—6) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से होती हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक—15.02.2013 को गश्त के दौरान सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) को पिपरोद बेरियल पर मुखबिर के द्वारा नयाखेडा वन चौकी पर किसी व्यक्ति के पास छुरी रखे होने की सूचना मिली थी और उक्त सूचना की तस्दीक के लिये वह हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ०सा०—3) व अरविंद (अ०सा०—6) सिंहत शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) के साथ मौके पर पहुंचे थे।

- 13— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् जप्ती व गिरफतारी के साक्षी शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) पिपरोद बेरियल पर ही मिल गये थे, इस संबंध में नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही स्षष्ट करते हुये यह कथन दिये है कि वह मुखबिर की सूचना से साक्षियों को अवगत कराने के बाद उन्हें साथ लेकर नयाखेडा वनविभाग पहुंचा था। नरेश सिह (अ०सा०—5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट कथन दिये है कि उसे शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) पिपरोद बेरियल पर मिले थे, जिन्हें वह साथ लेकर घटना स्थल पर पहुचा था। अरविंद सिंह (अ०सा०—6) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ०सा०—5) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये है कि दरोगा जी ने पिपरोद बेरियल पर शिवराज (अ०सा०—1) व भैयालाल (अ०सा०—2) को बुलाया था और उन्हें वह अपने साथ लेकर मौके पर पहुंचे थे। अजय सिंह परिहार (अ०सा०—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में यह स्पष्ट कथन दिये है कि नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने जप्ती व गिरफतारी से पहले ही गवाहों को बुला लिया था।
- 14— अतः घटना दिनांक—15.02.2013 को मुखबिर की सूचना गश्त के दौरान पिपरोद बेरियल पर प्राप्त होने के पश्चात् पिपरोद बेरियल से ही जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी शिवराज (अ0सा0—1) व भैयालाल (अ0सा0—2) को लेकर सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ0सा0—5) वन चोकी नयाखेडा पर सूचना की तस्दीक के लिये पहुचे थे इस संबंध में अभिलेख पर अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है जिससे साक्षियों के कथनों से इस बात पर लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि

मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पिपरोद बेरियल पर जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों को सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०–5) ने अपने साथ लिया था और मौके पर पहुंचे थे।

- 15— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में थाने से रवानगी का समय एवं जप्ती व गिरफतारी के समय का उल्लेख नही किया है जिसे बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण की चुनौती दी गई है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने भले ही इस संबंध में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन न दिये हो, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि उसके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही 11:00 से 12:00 बजे की बीच की थी। जिसकी पुष्टि प्रदर्श—पी—1 के जप्ती पत्रक एवं प्रदर्श—पी—2 के गिरफ्तारी पत्रक में उल्लेखित समय से होती हैं। आरक्षक अजय सिह परिहार ने भी घटना के समय को लेकर अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में यह स्पष्ट किया है कि वह गश्त के लिये 10:00—11:00 बजे के करीब गये थे तथा 12:00 बजे से पहले वापस आ गये थे। अरविंद सिंह (अ०सा0—6) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को 11:00 बजे के आसपास रेंज चौकी के पास गिरफ्तार किया था।
- 16— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) सिंहत हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ०सा०—3) व अरविंद (अ०सा०—6) ने अपने अपने मुख्यपरीक्षण में भले रवानगी का समय व जप्ती एवं गिरफ्तारी के समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये कथन नही दिये, परन्तु इन साक्षियों क द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि जो भी कार्यवाही सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) के द्वारा की गई वो सुबह 10:00 बजे के बाद थाने से रवाना होकर इलाका गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर 11:00 से 12:00 बजे के बीच जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थीं।
- 17— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) सिंहत हमराह आरक्षक अजय सिंह (अ०सा०—3) व अरविंद (अ०सा०—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह अखिण्डत साक्ष्य दी हैं, अभियुक्त को जब वन चौकी के पास पकडा था, तो उसके पास से एक छुरी लोहे की बरामद की गई थीं तथा साथ ही एक मोबाईल व 2030/— रूपये भी बरामद हुये थे। जिसकी पुष्टि प्रकरण में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—5 सिंहत जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक

प्रदर्श—पी—1 व 2 से होती है। छुरी के माप के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से चुनौती दी गई जिसके संबंध में अजय सिंह (अ०सा0—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में एवं अरविंद (अ०सा0—6) ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में छुरी का माप बताने में असमर्थता व्यक्त की हैं।

- 18— अजयसिंह (अ०सा0—3) व अरविंद सिंह (अ०सा0—6) के द्वारा निश्चित रूप से अपने कथनों में प्रकरण में जप्तशुदा छुरी का माप स्पष्ट नहीं किया गया है, परन्तु सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा0—5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह स्पष्ट किया है कि छुरी का कुल लंबाई एक बिलास्त छः अंगूल हैं, जिसका उल्लेख जप्तीपत्रक प्रदर्श—पी—1 में भी किया गया है। नरेश सिंह (अ०सा0—5) के द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी—1 न्यायालय में दिये गये कथनों में जप्त शुदा छुरी के माप इंच में नहीं बताया और हमराह आरक्षकों ने भी छुरी का माप बताने में असमर्थता व्यक्त की हैं। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षियों के द्वारा पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को पकडा गया हैं। ऐसे समय में उनके पास माप के उपकरण होने के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती है ऐसे समय में अनुमानित माप को देखते हुये ही आम तौर पर जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाती है। मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि नरेश सिंह (अ०सा0—5) के द्वारा छुरी का माप जो जप्तीपत्रक प्रदर्श—पी—1 एवं न्यायालीय कथनों में उल्लेखित किया गया है उक्त छुरी प्रतिबंधित छुरी की श्रेणी में आती है अथवा नहीं।
- 19— सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा०—5) के परीक्षण के समय जप्तशुदा छुरी पर आर्टिकल चिंहित किये गये उक्त छुरी की लंबाई एक बिलास्त छः अंगूल नही हैं, ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचाव पक्ष की नही है। जप्तशुदा छुरी की फल की चौडाई भले ही दो इंच से कम हैं, परन्तु फल की लंबाई छः इंच से अधिक हैं जिसके धारदार न होने के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव का नरेश सिंह (अ०सा०—5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। आर्टिकल ''ए'' की छुरी का आकार और प्रकार यह साबित करता है कि उक्त छुरी को मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमाक 6312—6552 (1—बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के तहत् अपने अधिपत्य में रखना प्रतिबंधित है।

- 20— प्रकरण में निश्चित रूप से छुरी को कपडे थैली में शीलबंद नही किया गया है परन्तु छुरी का अक्श जप्तीपत्रक पर उकेरा गया है और जप्ती पत्रक पर उकेरी गई छुरी ही आर्टिकल ए की छुरी है इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं हैं। अतः जहां छुरी की पहचान सुनिश्चित हो वहां उसका मोके पर कपडे की थैली में शीलबंद न होने से जप्ती कार्यवाही दुषित नही होती। जप्तीकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ०सा0-5) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में अखिण्डत साक्ष्य दी गई है कि आर्टिकल "ए" की छुरी ही उन्होंने मुखबिर की सूचना पर से शिवराज (अ०सा0-1) व भैयालाल (अ०सा0-2) के समक्ष हमराह साक्षी अजयसिंह (अ०सा०-3) व अरविंद (अ०सा०-6) के समक्ष जप्त की थीं। जप्ती व गिरफतारी के साक्षियों ने भले ही सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0-5) की कार्यवाही का समर्थन न किया हो, परन्त् द्वारां जप्ती वं गिरफ्तारी पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। अजय सिंह (अ०सा0-3) व अरविंद (अ०सा0-6) के साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है नरेश सिंह (अं0सा0-5) के द्वारा पिपरीद बेरियल पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को नयाखेडा वन चोकी के पास पकडा गया था और अभियुक्त के अधिपत्य से एक छुरी सहित मोबाईल व 2030 / - रूपये जप्त किये गये थे। अभियुक्त के अधिपत्य से जप्त की गई छूरी आर्टिकल ए की छूरी है, इस संबंध में नरेश सिंह (अ०सा०–५) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नही है।
- 21— बचाव पक्ष की ओर से नरेश सिंह (अ०सा०—5) सिंहत अरविंद (अ०सा०—6) व अजय सिंह (अ०सा०—3) के प्रतिपरीक्षण में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि उनके द्वारा अभिलेख देखकर कथन दिये गये है। जिस पर इन साक्षियों ने सहमित दी हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि पुलिस के साक्षी दिन प्रतिदिन कई विवेचनाओं में एवं कई प्रकार की जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही में अपने कार्य के दौरान जाते हैं ऐसे में किसी भी पुलिसकर्मी के लिये यह संभव नही है कि वह मात्र अभियुक्त का नाम या प्रकरण कमाक देखकर पूरी घटना की याददाश्त ताजा कर सके। ऐसे में अभिलेख के अवलोकन उपरांत साक्ष्य दी गई है तो बचाव पक्ष के पास साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर प्राप्त था, मात्र उक्त कारण से साक्षियों की साक्ष्य को नकारा नही जा सकता है।
- 22— बचाव पक्ष की ओर से यह चुनौती भी दी गई है कि जप्तीकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ०सा०—5) के द्वारा प्रकरण में स्वयं ही विवेचना

की गई है। जिससे उसके द्वारा की गई कार्यवाही दूषित हो जाती है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायलय के न्यायदृष्टांत....एस0 जीवनाथम विरुद्ध राज्य A.I.R. 2004 S.C. 4608 में प्रतिपादित विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शासकीय कर्तव्यों के दौरान किसी पुलिस कर्मी के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी के दौरान प्रकरण का अनुसंधान भी किया जावे तो उसे हितबद्ध व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। सहायक उपनिरीक्षक नरेश सिंह (अ0सा0—5) के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही एवं रामगोविंद (अ0सा0—4) के द्वारा की गई असल कायमी अपने पदिये कर्तव्यों के निर्वाहन में की गई है, जिस पर अविश्वास करने का अभिलेख पर कोई कारण उपलब्ध नहीं है।

- 23— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 15.02.2013 को समय 11:35 बजे वन विभाग पुलिस चौकी के सामने आमरोड नयाखेडा पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमाक 6312—6552 (1—बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में धारदार छुरी रखे पाया गया।
- 24— फलस्वरूप <u>अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह लोधी</u> के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा— 25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिंह</u> लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध. घोषित किया जाता है।
- 25— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त का प्रथम अपराध है अतः दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का तथा इस तरह के कृत्य के अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते है, अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त भुजबल लोधी पुत्र उदेश्य सिह लोधी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1)(1—बी) बी आर्म्स एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 27— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के जमानत संबंधी मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में तोडमरोड कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)